**राजस्थान सरकार**
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**
**(ग्रामीण विकास विभाग, अनुभाग–5)**

क्रमांक एफ 27(252)ग्रावि/ग्रुप–5/जीकेएन/एसओपी/2015–16 जयपुर, दिनांक 29 अप्रैल, 2016

**जिला कलक्टर,**
**समस्त, राजस्थान।**

**विषयः–** विभागीय योजनान्तर्गत सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूर्ण कराने बाबत्।

महोदय,

ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2010 के बिन्दु संख्या 16 के अनुसार निर्माण कार्यों के निरीक्षण के मापदण्ड तथा बिन्दु संख्या 17 एवं 20 में उपयोगिता व पूर्णता प्रमाण पत्र के क्रम में स्पष्ट प्रावधान वर्णित है। समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश/निर्देशों के उपरान्त भी निर्माण कार्यों को गुणवत्ता पूर्वक एवं समय पर पूर्ण नहीं होने की स्थिति को देखते हुए गुणवत्ता जॉच हेतु राज्य स्तर पर तृतीय पक्ष संस्थाओं को पंजीकृत किया जाकर निर्माणाधीन/पूर्ण कार्यों का तृतीय पक्ष संस्थाओं से सत्यापन कराया जा रहा है। तृतीय पक्ष संस्थाओं से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अधिकांश कार्य, निर्धारित गुणवत्ता स्तर के नहीं पाये गये, जो कि गम्भीर एंव खेद जनक स्थिति है, यह भी ध्यान में लाया गया है कि ग्रामीण कार्य निर्देशिका/शिड्यूल ऑफ पावर्स में वर्णित प्रावधानों के विपरीत उपयोगिता व पूर्णता प्रमाण पत्रों पर विकास अधिकारियों द्वारा अनावश्यक रूप से निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु प्रतिहस्ताक्षर किये जा रहे है, जिससे पूर्णता/उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि ग्रामीण कार्य निर्देशिका/शिड्यूल ऑफ पावर्स में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

यह शासन सचिव, ग्रामीण विकास से अनुमोदित है।

**(के.के. शर्मा)**
**अधीक्षण अभियंता ग्रावि**

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ट सहायक ,माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्राविप्र), समस्त।
7. परियोजना निदेशक एवं पदेन उपसचिव (मो.एवं मु.) ग्रामीण विकास को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु।
8. सहायक प्रोग्रामर ग्रामीण विकास को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

**अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)**

D:\jay\letter to district\Letter.docx